भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3088

दिनांक 18 दिसंबर 2025

पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी

†3088. श्री शफी परम्बिलः

श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान और 31 अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत नामांकित लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की, जिसमें निःशुल्क वितरित किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या भी शामिल है, वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान और 31 अगस्त 2025 तक पीएमयूवाई के तहत प्रति लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर रिफिल की वर्ष-वार और राज्य-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार औसत संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने नियमित रूप से एलपीजी सिलेंडर रिफिल करने वाले, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान सिलेंडर रिफिल नहीं किए या केवल एक सिलेंडर रिफिल करने वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान एलपीजी सब्सिडी से बाहर निकलने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(च) क्या सरकार का पीएमयूवाई लाभार्थियों के एलपीजी के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सब्सिडी ढांचे की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुरेश गोपी)

(क): देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.12.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 10.35 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक- ख में दिया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की रिफिल खपत दरें, प्रति वर्ष प्रति परिवार द्वारा लिए गए 14.2 किलोग्राम रिफिलों की संख्या के संदर्भ में, निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष	**प्रति कनेक्शन पर खपत (14.2 कि. ग्रा. रिफिल/उपभोक्ता /वर्ष के संदर्भ में)**
2021-22	3.68
2022-23	3.71
2023-24	3.95
2024-25	4.47
2025-26 (अगस्त -25 तक)	4.83

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन रिफिल खपत (14.2 किलोग्राम एलपीजी रिफिल के संदर्भ में) राज्यवार और वर्षवार अनुलग्नक – ग में दी गई है।

(घ): वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएमयूवाई लाभार्थियों में से लगभग 86% ने एक बार रिफिल कराया। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार उन पीएमयूवाई उपभोक्ताओं का विवरण, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कोई रिफिल नहीं लिया अथवा केवल एक रिफिल लिया है, अनुलग्नक-घ में दिया गया है।

अनुसंधान एवं विकास पहल (आरडीआई) द्वारा एक व्यापक तृतीय-पक्षकार मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के साथ-साथ विभिन्न अन्य स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ड.): पिछले पांच वित्त वर्षों के प्रारंभ में एलपीजी राजसहायता से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार संख्या अनुलग्नक-ड.में दी गई है।

(च): भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60% आवश्यकता का आयात करता है और तदनुसार देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यों से जुड़े होते हैं। जबकि सऊदी औसत सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 21% बढ़ा (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से नवंबर 2025 में 466 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन तक), वहीं घरेलू एलपीजी के मूल्यों में लगभग 22% की कमी (अगस्त 2023 में 1103 रुपये से नवंबर 2025 में 853 रुपये तक) हुई।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मई 2022 में सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर 200 रुपये की निर्धारित राजसहायता (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथा आनुपातिक रूप से आनुपातिक) देना शुरू की। अगस्त 2023 में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के मूल्यों में 200 रुपये और मार्च 2024 में 100 रुपये की कमी की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर 300 रुपये (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथा आनुपातिक रूप से आनुपातिक) कर दिया।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 9 रिफिल तक प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की निर्धारित राजसहायता (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथा आनुपातिक रूप से आनुपातिक) प्रदान कर रही है।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य वर्तमान में 853 रुपये है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता देने के बाद, भारत सरकार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर को 553 रुपये प्रति सिलेंडर के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में लगभग 39% (अगस्त 2023 में 903 रुपये से घटकर नवंबर 2025 में 553 रुपये हो गई है) की कमी आई है।

2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान, सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 712 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हुई इस वृद्धि का खुदरा मूल्यों पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी नुकसान हुआ। इन नुकसानों की भरपाई के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया।

2024-25 के दौरान एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय मूल्य फिर से बढ़ गए हैं और आगे भी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी नुकसान हुआ। इन नुकसानों के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति किफायती मूल्यों पर सुनिश्चित की है। ओएमसीज को इन नुकसानों की भरपाई के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर रिफिल की संख्या के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2021-22 में 3.68 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

*****

अनुलग्नक-क

"पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार पीएमयूवाई कनेक्शन

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार	01.04.2023 की स्थिति के अनुसार	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार	01.04.2025 की स्थिति के अनुसार	01.09.2025 की स्थिति के अनुसार
अंडमान और निकोबार	12,602	13,403	13,447	13,827	13,822	13,820
आंध्र प्रदेश	3,91,625	4,16,861	5,12,437	9,68,332	9,73,213	9,71,410
अरुणाचल प्रदेश	44,670	47,818	49,247	53,789	53,794	53,692
असम	34,74,326	39,79,854	44,14,806	50,92,071	50,97,344	50,94,699
बिहार	85,23,573	1,00,94,557	1,07,33,364	1,16,19,851	1,16,28,502	1,16,25,634
चंडीगढ़	87	92	659	2,025	2,028	2,025
छत्तीसगढ	29,88,523	33,51,181	34,92,221	37,85,197	38,01,362	38,00,785
दादरा नगर-हवेली दमन और दीव	15,166	15,050	15,033	17,812	17,791	17,742
दिल्ली	76,190	98,756	1,42,164	2,56,931	2,59,579	2,58,973
गोवा	1,081	1,081	1,265	1,956	1,955	1,949
गुजरात	28,99,233	34,38,252	38,43,237	43,04,694	43,08,245	43,05,956
हरियाणा	7,26,751	7,38,980	7,67,322	11,12,992	11,15,081	11,13,412
हिमाचल प्रदेश	1,35,960	1,38,382	1,40,822	1,50,837	1,50,692	1,50,514
जम्मू और कश्मीर	12,30,134	12,38,847	12,45,438	12,69,743	12,69,651	12,69,261
झारखंड	32,58,502	34,74,963	36,46,220	38,95,366	38,94,458	38,92,955
कर्नाटक	31,43,099	34,66,468	37,57,704	41,48,108	41,46,532	41,41,882
केरल	2,56,136	3,00,498	3,41,187	3,87,761	3,87,759	3,87,466
लद्दाख	11,072	11,099	11,090	11,089	11,085	11,080
लक्षद्वीप	292	302	309	365	370	370
मध्य प्रदेश	71,43,875	79,38,596	82,27,427	88,32,154	88,46,577	88,44,252
महाराष्ट्र	44,19,772	46,98,339	48,90,055	52,15,785	52,17,287	52,12,649
मणिपुर	1,56,398	1,78,392	2,02,029	2,24,999	2,24,916	2,24,879
मेघालय	1,50,526	1,73,142	2,14,928	3,16,624	3,17,155	3,16,942
मिजोरम	28,122	29,645	33,595	36,031	36,006	35,985
नगालैंड	54,096	77,111	91,807	1,22,199	1,22,138	1,22,047
ओडिशा	47,36,666	51,88,279	53,19,685	55,47,343	55,49,146	55,47,370
पुदुचेरी	13,568	14,218	14,833	19,322	19,389	19,408
पंजाब	12,19,883	12,35,939	12,83,976	13,59,705	13,59,256	13,57,645
राजस्थान	63,59,564	66,20,356	69,27,163	73,77,084	73,81,006	73,76,637
सिक्किम	8,752	12,457	13,795	19,911	19,872	19,867
तमिलनाडु	32,37,695	34,50,256	37,04,058	41,01,978	40,99,805	40,96,816
तेलंगाना	10,71,393	11,11,322	11,52,850	11,85,624	11,84,171	11,82,783
त्रिपुरा	2,71,530	2,71,904	2,83,503	3,15,462	3,16,411	3,16,367
उत्तर प्रदेश	1,47,33,034	1,67,18,454	1,75,03,067	1,85,92,478	1,85,93,754	1,85,83,589
उत्तराखंड	4,03,234	4,49,877	4,96,450	5,30,167	5,30,076	5,29,457
पश्चिम बंगाल	88,39,050	1,09,08,400	1,23,72,225	1,23,76,395	1,23,74,688	1,23,71,742

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक –ख

"पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों में पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

पीएमयूवाई योजना के तहत राज्यवार जारी किए गए कनेक्शन				
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	811	46	383	-
आंध्र प्रदेश	25,222	95,672	4,55,997	3,203
अरुणाचल प्रदेश	3,457	1,514	4,544	9
असम	5,11,073	4,24,243	6,77,955	8,138
बिहार	16,13,210	6,39,296	8,85,019	9,662
चंडीगढ़	5	569	1,366	-
छत्तीसगढ	3,73,735	1,44,003	2,93,324	16,605
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39	14	2,795	2
दिल्ली	22,638	43,594	1,14,936	2,941
गोवा	-	141	692	-
गुजरात	5,40,537	4,06,881	4,62,062	4,795
हरियाणा	13,675	29,097	3,45,912	2,333
हिमाचल प्रदेश	2,058	2,525	10,089	54
जम्मू और कश्मीर	9,415	7,110	25,324	367
झारखंड	2,19,486	1,74,072	2,49,411	1,559
कर्नाटक	3,28,275	2,93,751	3,91,934	695
केरल	44,456	40,802	46,564	97
लद्दाख	28	1	2	-
लक्षद्वीप	10	14	61	-
मध्य प्रदेश	7,95,859	2,92,462	6,05,761	15,730
महाराष्ट्र	2,81,997	1,94,467	3,27,823	3,523
मणिपुर	22,025	23,691	22,970	-
मेघालय	22,628	41,847	1,01,774	1,385
मिजोरम	1,523	3,962	2,436	22
नगालैंड	21,977	14,956	30,324	68
ओडिशा	4,55,549	1,37,729	2,26,972	2,798
पुदुचेरी	655	616	4,485	20
पंजाब	17,132	48,514	75,928	53
राजस्थान	2,64,503	3,10,247	4,51,692	7,030
सिक्किम	3,707	1,341	6,116	-
तमिलनाडु	2,14,225	2,57,068	3,97,716	1,849
तेलंगाना	40,198	41,845	32,890	336
त्रिपुरा	5,827	11,673	31,959	1,060
उत्तर प्रदेश	20,00,914	7,98,372	10,90,440	5,861
उत्तराखंड	46,778	48,157	33,756	151
पश्चिम बंगाल	20,96,373	14,69,708	6,107	2,108

नोट: 2020-21 में कोई पीएमयूवाई कनेक्शन जारी नहीं किया गया

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक –ग

"पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक :

पिछले पांच वर्षों में पीएमयूवाई लाभार्थियों का राज्यवार और वर्ष वार प्रति कनेक्शन खपत

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (14.2 कि ग्रा रिफिल/साल के हिसाब से)				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
चंडीगढ़	5.14	5.80	4.88	7.26	7.08
दिल्ली	6.32	7.83	6.61	7.57	7.46
हरियाणा	5.39	6.03	6.10	6.76	6.81
हिमाचल प्रदेश	4.08	4.07	4.08	4.47	4.46
जम्मू और कश्मीर	2.92	3.12	3.43	4.03	4.21
लद्दाख	3.49	3.85	2.97	4.54	5.83
पंजाब	4.96	5.23	5.52	5.63	5.37
राजस्थान	4.12	4.38	4.45	4.93	5.17
उत्तर प्रदेश	4.14	4.06	4.56	5.08	5.54
उत्तराखंड	4.77	4.74	4.88	5.04	5.26
अंडमान और निकोबार	4.10	4.37	5.60	6.06	5.44
अरुणाचल प्रदेश	3.74	3.73	3.77	4.14	4.20
असम	2.72	2.91	2.96	3.36	3.69
बिहार	3.92	3.64	3.82	4.15	4.64
झारखंड	2.55	2.51	2.73	3.20	3.89
मणिपुर	5.04	5.12	4.24	4.40	4.34
मेघालय	2.65	2.94	2.40	2.60	3.05
मिजोरम	4.80	4.84	4.70	5.37	5.51
नगालैंड	3.46	3.49	3.23	3.97	4.61
ओडिशा	3.02	3.10	3.46	4.03	4.47
सिक्किम	3.46	3.61	3.62	4.77	5.31
त्रिपुरा	2.68	2.66	2.67	3.20	3.68
पश्चिम बंगाल	3.49	3.47	3.90	4.78	5.20
छत्तीसगढ	1.81	1.73	1.92	2.39	2.66
दादरा और नगर हवेली	4.34	4.72	4.92	4.92	4.68
गोवा	4.62	4.35	3.93	4.27	4.51
गुजरात	4.49	4.68	4.76	5.31	5.72
मध्य प्रदेश	2.92	2.97	3.11	3.50	3.93
महाराष्ट्र	4.23	4.44	4.62	5.19	5.58
आंध्र प्रदेश	3.81	4.07	3.73	4.42	4.82
कर्नाटक	4.53	4.71	4.76	5.35	5.69
केरल	4.13	4.19	3.99	4.40	4.84
लक्षद्वीप	4.05	3.47	3.82	3.60	4.37
पुडुचेरी	6.14	5.95	6.25	6.91	7.33
तमिलनाडु	4.12	4.28	4.38	4.81	5.04
तेलंगाना	3.47	3.62	3.47	3.67	3.84

**वित्त वर्ष 2025-26 – अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान पूरे वित्त वर्ष के लिए आनुपातिक खपत के आधार पर*

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक –घ

"पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

पीएमयूवाई के उन उपभोक्ताओं की राज्य/- केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण जिन्होंने रिफिल नहीं लिया है, पिछले तीन वर्षों में एक रिफिल लिया है

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
	पीएमयूवाई के लाभार्थियों ने कोई रिफिल नहीं लिया है	पीएमयूवाई के लाभार्थियों ने सिर्फ़ एक रिफ़िल लिया	पीएमयूवाई के लाभार्थियों ने कोई रिफिल नहीं लिया है	पीएमयूवाई के लाभार्थियों ने सिर्फ़ एक रिफ़िल लिया	पीएमयूवाई Y के लाभार्थियों ने कोई रिफिल नहीं लिया है	पीएमयूवाई के लाभार्थियों ने सिर्फ़ एक रिफ़िल लिया
अंडमान और निकोबार	1,125	733	1,041	590	1,433	315
आंध्र प्रदेश	31,670	58,646	1,00,811	3,04,230	60,447	96,791
अरुणाचल प्रदेश	8,090	6,582	9,705	9,462	8,932	5,958
असम	10,51,029	9,02,994	12,80,551	11,10,869	14,88,148	7,10,721
बिहार	10,70,552	18,82,763	13,94,091	19,52,673	15,20,952	17,14,709
चंडीगढ़	9	112	99	557	43	94
छत्तीसगढ	12,71,260	8,98,108	12,62,743	10,17,053	12,32,813	7,63,421
दादरा और नगर हवेली/ दमन और दीव	44	515	449	2,034	660	778
दिल्ली	5,239	6,366	10,393	41,909	10,294	8,141
गोवा	53	213	72	501	84	168
गुजरात	2,44,519	4,04,117	3,45,994	5,76,510	2,92,156	3,48,942
हरियाणा	38,539	39,876	57,640	1,54,638	44,458	44,616
हिमाचल प्रदेश	14,522	16,829	14,450	22,861	14,541	16,305
जम्मू और कश्मीर	1,31,341	2,70,094	1,87,121	2,47,285	1,48,549	2,67,191
झारखंड	8,72,565	8,20,718	9,59,833	8,41,603	9,42,495	6,89,726
कर्नाटक	2,01,699	3,52,309	2,90,266	4,95,555	2,77,586	2,90,832
केरल	24,203	32,865	35,730	58,753	39,509	35,479
लद्दाख	439	1,288	2,311	1,835	752	744
लक्षद्वीप	26	27	24	69	22	31
मध्य प्रदेश	13,18,596	16,87,280	16,08,366	19,00,970	16,65,720	16,09,119
महाराष्ट्र	2,77,828	5,26,873	4,19,240	6,09,345	3,40,848	4,68,553
मणिपुर	16,777	19,200	27,925	31,208	20,576	15,925
मेघालय	53,686	39,424	67,288	1,15,215	92,539	67,570
मिजोरम	3,037	4,376	3,962	4,839	5,804	2,900
नगालैंड	16,164	16,549	19,909	35,085	24,140	17,400
ओडिशा	8,14,363	11,40,848	9,29,890	9,93,653	8,34,455	8,38,703
पुडुचेरी	509	908	1,029	1,683	1,004	758
पंजाब	90,233	88,406	93,622	1,04,896	1,21,114	99,523
राजस्थान	3,29,397	8,32,246	5,59,606	10,28,137	6,46,146	8,08,156
सिक्किम	2,763	2,806	1,870	6,327	3,131	2,336
तमिलनाडु	2,69,965	3,83,341	3,52,734	5,09,629	3,91,044	3,43,158
तेलंगाना	73,935	1,45,225	1,32,982	1,65,400	1,38,890	1,52,494
त्रिपुरा	1,05,116	37,134	1,21,223	52,361	1,30,407	30,041
उत्तर प्रदेश	16,81,620	22,47,166	15,21,472	22,79,939	18,27,825	19,06,194
उत्तराखंड	44,203	61,895	58,421	63,945	64,325	54,368
पश्चिम बंगाल	18,19,143	25,45,208	21,75,329	19,10,695	20,87,818	15,63,512

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक –ड.

"पीएमयूवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 भाग (**ड.**) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वित्त वर्ष की शुरुआत में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार एलपीजी राजसहायता छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या

(आंकड़े निकतम हज़ार तक पूर्णांक किए गए हैं)

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	01-04-2021	01-04-2022	01-04-2023	01-04-2024	01-04-2025
1	जम्मू और कश्मीर	154.9	154.6	158	158.5	150.2
2	हिमाचल प्रदेश	71.2	71.5	74.2	74.9	79.9
3	पंजाब	413.5	414.2	461.5	463.7	471.7
4	चंडीगढ़	19.1	19.2	20.5	20.6	20.0
5	उत्तराखंड	154.8	157.6	160.6	165.4	169.7
6	हरियाणा	356.5	362.4	385.4	395.2	436.3
7	दिल्ली	846.8	853.6	874.4	923.2	985.6
8	राजस्थान	713.1	716.5	754.6	757.4	730.2
9	उत्तर प्रदेश	1351.1	1355.1	1396.4	1408.3	1406.9
10	बिहार	434.9	435.6	436.4	438.6	418.0
11	सिक्किम	7.8	7.8	7.8	7.8	7.0
12	अरुणाचल प्रदेश	23.6	23.7	23.7	23.8	22.6
13	नगालैंड	31.6	31.7	31.7	31.7	31.6
14	मणिपुर	47.1	47.1	47.1	47.1	37.8
15	मिजोरम	44	44	44	44	34.8
16	त्रिपुरा	18.8	18.9	18.9	18.9	20.2
17	मेघालय	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9
18	असम	189.8	190.5	191.2	191.5	180.1
19	पश्चिम बंगाल	357.7	360.1	363	367.4	382.9
20	झारखंड	101.4	102.5	103	104	102.4
21	ओडिशा	169.1	171.3	173.3	174.5	170.2
22	छत्तीसगढ	142.4	142.8	143.3	144	158.1
23	मध्य प्रदेश	455.8	456.5	468.4	470.4	467.9
24	गुजरात	485.8	490.6	534.8	546	559.6
27	महाराष्ट्र	1772.9	1789.1	1924.7	1965.3	2012.1
28	आंध्र प्रदेश	233.9	234.1	240.5	241.4	252.8
29	कर्नाटक	752.1	754.8	759.5	775	753.3
30	गोवा	45.5	46.3	46.8	47.9	51.7
31	लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
32	केरल	302.8	303.9	304.8	308.2	343.1
33	तमिलनाडु	671.3	674.7	680.6	692.6	691.1
34	पुदुचेरी	16.5	16.6	16.8	16.9	16.5
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.4	0.4	0.4	0.4	3.1
36	तेलंगाना	379.8	380.2	381.4	388.5	395.1
37	लद्दाख	0.1	0.1	0.1	0.1	6.7
38	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	14.1	14	14.4	14.8	15.7

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल